PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 01

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 586/2024		
राज्य	**बनाम**	लवकेश

नाम साक्षीः पातीराम पुत्र रुपन लाल	अपराध संख्या-336/2023
उम्रः लगभग 50 वर्ष, पेशाः कृषि	धारा-304 भादवि
पता साक्षीः ग्राम सिम्हारा, थाना फंफूद, जिला-औरैया	थाना-भोगनीपुर, कानपुर देहात।

<u>प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-311 द०प्र०सं० के आधार पर प्रतिपरीक्षा</u>

<u>दिनांकः-22.01.2026</u>

मैं **साक्षीः पातीराम पुत्र रुपन लाल, उम्रः लगभग 50 वर्ष, पेशाः कृषि, पता साक्षीः ग्राम सिम्हारा, थाना फंफूद, जिला-औरैया** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. मेरे गाँव की एक बेटी ने मुझे बेटी मालती देवी के गिरने की सूचना दी थी। मेरी बेटी मालती हैलट अस्पताल में भर्ती थी। मैं मालती को देखने हैलट अस्पताल गया था। मालती को हैलट अस्पताल लवकेश ले गया था। मुझे यह नहीं मालूम है कि बेटी मालती हैलट अस्पताल कानपुर से कब डिस्चार्ज हुई। मुझे जानकारी नहीं है कि बेटी मालती के इलाज में कितना खर्च हुआ क्योंकि मैं वहाँ से चला आया था। जब मेरी बेटी मालती ने मुझे यह बात बतायी थी कि लवकेश, मुकेश, अंकेश व सुखदेवी ने मुझे छत से धक्का दे दिया है इस बात की रिपोर्ट मैंने उस समय नहीं की थी क्योंकि मेरी बेटी मालती ने मुझसे कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब रिपोर्ट करना। जब मेरी बेटी मालती हैलट अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गयी थी उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गयी तब मैंने इस घटना की रिपोर्ट लिखायी थी।

2. मेरी बेटी मालती ने मुझे फोन कर बताया था कि मेरी हालत खराब है। जब मेरी बेटी मालती अस्पताल में भर्ती थी तब उसकी देखभाल मेरी पत्नी कर रही थी। मैं अपनी बेटी को देखकर चला आया था। मेरी पत्नी ही बता सकती है कि मेरी पत्नी के अलावा बेटी मालती की देखरेख और कौन कर रहा था।

3. यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट न लिखाने के एवज में उनसे धन की मांग की हो।

4. यह कहना गलत है कि मैं पहले से लवकेश से नाराज होने के कारण दुर्घटना की रिपोर्ट घटना में लिखा दी हो।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
लिपिक द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS